| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 27/1/2013 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**90/2011**<br>**ब्रजभूषण प्रसाद बनाम राज्य एवं अन्य**<br>**आदेश**<br>यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी, सोनपुर के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1003 दिनांक 19/11/2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।<br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25/10/2011 को जिला स्तरीय जाँच दल के द्वारा अपीलकर्त्ता के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की तिथि को दुकान बंद पायी गयी थी। उसके बाद अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गयी और अंततः प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।<br>अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी दुकान निरीक्षण तिथि को इसलिए बंद थी कि निरीक्षण के अगले दिन दीपावली का पर्व था और वह बाजार से समान लाने हेतु छपरा चले गए थे। साथ ही अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि दुकान बंद करना मात्र अनुज्ञप्ति रद्द करने का कारण नहीं हो सकता है, जैसा कि कई न्याय निर्णयों में स्पष्ट किया जा चुका है। साथ ही एक वैधिक प्रश्न उठाते हुए अपीलकर्त्ता का कहना है कि उसे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत नहीं है।<br>विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि दुकान बंद रखना जन वितरण प्रणाली के मौलिक लक्ष्यों को चुनौती देता है और इस तरह के व्यवहार का औचित्य नहीं हो सकता है।<br>दोनों पक्षों को सुनने और मूल अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध एक ही आरोप है कि उसकी दुकान निरीक्षण तिथि को बंद पायी गयी। स्पष्ट है कि दुकान बंद होने के कारण ही दुकान का निरीक्षण नहीं हो सका। इसलिए किसी प्रकार के निरीक्षण प्रतिवेदन की माँग करना निरर्थक है। अपीलकर्त्ता की यह दलील कि वह दीपावली का समान खरीदने चले गए थे और इसलिए दुकान बंद थी पूर्णतः | |

27/1/13

गैर-जिम्मेदाराना और मनमाना है। जन वितरण प्रणाली के प्रतिष्ठान उपभोक्ताओं के लिए चलाए जाते हैं। अपनी मर्जी से विक्रेता के द्वारा दुकान को बंद करना इस प्रणाली पर गंभीर आघात है। इसलिए मुझे प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं दीखती है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______/विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को उनके पत्रांक 766/आपूर्ति दिनांक 15-10-2012 द्वारा संचिका संख्या-21-93/11 श्री ब्रजभूषण प्रसाद ग्राम-बलीछपरा थाना-डेरनी का मूल में प्राप्त की आदेश की प्रति के साथ मूल संचिका लौटाकर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश के आलोक में कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - मूल संचिका सं०-, 21-93/2011

ह०/—
प्रधान सहायक,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा

ज्ञापांक 267/विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि - एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह०/—
प्रधान सहायक
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
04/02/13